कोर्ट फी COURT FEE भारत INDIA दस रुपये TEN RUPEES

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, ग्वालियर

पुनरीक्षण क्रं. / 2014

श्री विनोद भार्गव आदि
द्वारा आज दि. 7-6-14 को
प्रस्तुत
7-6-14
क्लर्क ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

1. मुरारीलाल सोनी पुत्र श्री मुन्नालाल
2. जुगलकिशोर सोनी पुत्र मुन्नालाल
3. विनोद सोनी पुत्र मुन्नालाल
4. सुरेश कुमार सोनी पुत्र मुन्नालाल

निवासीगण – पिपरसनिया मोहल्ला
छतरपुर तह. व जिला छतरपुर (म.प्र.)

...आवेदकगण

विरुद्ध

1. बलवीर सिंह पुत्र स्वामी सिंह यादव
निवासी वार्ड नं. 33 सटई रोड थाना
सिविल लाईन छतरपुर तहसील व जिला
छतरपुर (म.प्र.)

2. कुंवर विक्रम सिंह उर्फ नाती राजा
पुत्र श्री बलवंत सिंह जूदेव
निवासी राजमहल खजुराहो तहसील
राजनगर जिला छतरपुर (म.प्र.)

...अनावेदकगण

विनोद भार्गव
एडवोकेट
ग्वालियर
6-06-2014

न्यायालय तहसीलदार, तहसील छतरपुर जिला छतरपुर (म.प्र.)
द्वारा प्रकरण क्रमांक 3/अ–6/07–08 में पारित आदेश
दिनांक 22.3.2014 के विरुद्ध म.प्र. भू. राजस्व संहिता
1959 की धारा 50 के अधीन पुनरीक्षण आवेदन ।

पृ....2

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

निगरानी प्रकरण क्रमांक : 1735/तीन/2014 जिला छतरपुर

कार्यवाही तथा आदेश

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
11.6.2014	यह निगरानी तहसीलदार छतरपुर द्वारा प्रकरण क्रमांक 3 अ 6/2007-08 में पारित अंतरिम आदेश दिनांक 22-3-14 के विरुद्ध मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अंतर्गत इस न्यायालय में दिनांक 7-6-14 को प्रस्तुत की गई है, जिसके कारण सर्वप्रथम अवधि विधान की धारा-5 के आवेदन का निराकरण किया जाना आवश्यक है। 2/ आवेदक के अभिभाषक को एवं केविएटकर्ता के अभिभाषक को अवधि की धारा-5 के आवेदन पर सुना। अवधि विधान की धारा-5 के आवेदन के समर्थन में आवेदक ने शपथ पत्र प्रस्तुत नहीं किया है तथा आवेदक के अभिभाषक ने तर्कों में बताया कि आवेदक को यह जानकारी नहीं थी कि ... संशोधन होने के ... दिवस की सीमा में बावत निगरानी ... की समयावधि 60 दिवस हो चुकी है। प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त करने में ... समय लगा है जिसके कारण 12 दिवस का विलम्ब क्षमा योग्य है। केविएटकर्ता अभिभाषक ने तर्कों में बताया कि तहसीलदार छतरपुर के समक्ष नामान्तरण प्रकरण क्रमांक 3/अ-6/07-08 में पारित अंतरिम आदेश दिनांक 19-2-14 के विरुद्ध आवेदक ने निगरानी क्रमांक 918 ... 14 राजस्व मण्डल के समक्ष प्रस्तुत की, जो आदेश दिनांक 20-5-14 से निरस्त हुई है। तहसीलदार ने आवेदक को कई अवसर साक्ष्य प्रस्तुत करने हेतु दिये, किन्तु साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई अपितु वरिष्ठ न्यायालयों में निगरानी करके, समय व्यतीत करने में आवेदक लगा है एवं नामान्तरण प्रकरण का निराकरण नहीं होने दे रहा ... निगरानी ... है क्योंकि मध्यप्रदेश भू राजस्व संहिता ...	

[signature]

[illegible]सीलदार को निर्देश दिये गये हैं कि वह तीन माह के भीतर नामान्तरण प्रकरण [illegible] अंतिम रूप से निराकरण करें। स्पष्ट है कि तहसीलदार ने [illegible] न्यायालय के आदेश के पालन में आवेदक की आपत्ति सारहीन होने से अमान्य की है क्योंकि [illegible] तीन माह की अवधि में प्रकरण का अंतिम निराकरण करना है।

4 तहसीलदार के अंतरिम आदेश दिनांक 22-3-14 के अवलोकन से यह भी [illegible] गया है कि तहसीलदार ने धारा 151 जा0दी0 के अंतर्गत प्रस्तुत आवेदन (आपत्ति) निरस्त करने के उपरांत आवेदक ने तहसीलदार के समक्ष मांग रखी कि वह तहसीलदार के न्यायालय से प्रकरण अन्य न्यायालय में स्थानान्तरित कराना चाहता है इसलिए समय दिया जावे, जिसे तहसीलदार ने [illegible] में लेकर आवेदक को 28-3-14 तक का समय दिया है और इसी आदेश के विरुद्ध आवेदक ने इस न्यायालय में निगरानी प्रस्तुत की है। ऐसा प्रतीत होता है कि आवेदक नामांत्रण [illegible] का निराकरण [illegible] नहीं चाहता है एवं प्रकरण को [illegible] रखने का [illegible] है।

5 उपरोक्त कारणों से तहसीलदार द्वारा पारित अंतरिम आदेश दिनांक 22-3-14 [illegible] में हस्तक्षेप योग्य नहीं है। अतः [illegible] निगरानी [illegible] से निरस्त की जाती है। पक्षकार टीप करें। अधीनस्थ न्यायालय को आदेश की प्रति भेजकर प्रकरण रिकार्ड रूम में जमा किया जावे।